20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

(17)

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनर्विलोकन कमांक /2018

पुनर्विलोकन - 5898/2018/छिंदवाडा/भू.रा.

1. गिरधारीलाल साहू पिता स्व0 श्री लेखराम साहू आयु 43 वर्ष
   निवासी- उमरानाला, तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाडा।
2. ईश्वरदयाल साहू पिता स्व0 श्री लेखराम साहू आयु करीब 45 साल
3. लीलाधर साहू पिता स्व0 श्री लेखराम साहू आयु करीब 30 साल
4. मुरलीधर पिता स्व0 श्री लेखराम साहू आयु करीब 27 साल
5. सहदेव साहू पिता स्व0 श्री लेखराम साहू आयु करीब 22 साल

(669)

सभी निवासी ग्राम पौनार, तहसील व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

.... पुनर्विलोकनकर्तागण/याचिकाकर्तागण

के0 के0 विश्वकर्मा
अधिकारी द्वारा प्रस्तुत
रीडर (राजस्व मण्डल)
06 SEP 2018
आदेशक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरुद्ध

1. राजाराम पिता स्व0 गनपत साहू निवासी बीसापुरकला
   निवासी - बिसापुरकला, तह0 मोहखेड, जिला छिंदावाड़ा।
2. किशोर पिता स्व0 गनपत साहू निवासी हतलेवा, तहसील मोहखेड़।
3. तिजिया बाई पति भागलाल साहू उम्र करीब 45 साल।
4. सरला बाई पति स्व0 चमरू साहू उम्र करीब 40 साल, दोनो
   निवास - सावरी पोस्ट देवरी, खमारपानी तहसील बिछुआ,
   जिला छिंदवाडा।
5. सुनीता बाई पति ताराचन्द्र साहू निवासी हरनाखेड़ी पोस्ट कन्हरगांव,
   तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा
6. सुमन बाई पति ताराचन्द साहू निवासी हरनाखेड़ी पोस्ट कन्हरगांव
   तहसील उमरेठ जिला छिंदवाड़ा।
7. सकुन बाई उर्फ लक्ष्मीबाई निवासी इकलहरा, तहसील परासिया।
8. सम्पत साहू पिता जयराम साहू मृत/ वारिसान
   1- शिवकुमारी बाई पति स्व0 सम्पत साहू
   2- कृपाशंकर पिता स्व0श्री सम्पत साहू
   3- शिवशंकर पिता स्व0श्री सम्पत साहू
   4- रविशंकर पिता स्व0श्री सम्पत साहू
   5- किरण पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
   6- शशिकला पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
   7- कुंती पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
   सभी निवासी गुलाबरा, छिंदवाड़ा तह0/ जिला छिंदवाडा।
9. अजाब पिता मंदरुनाई निवासी ग्राम बदनूर तह0/ जिला छिंदवाड़ा

10- इमलाबाई पति गजानंद निवासी ग्राम गुबरेल तह0/ जिला छिंदवाड़ा
11- कासोबा पिता बेड़ा पवार निवासीग्राम बदनूर तह0/जिला छिंदवाड़ा
12- मनाराम पिता लालचंद पवार
13- जयराम पिता करिया पवार, राजाराम पिता करीयाा दोनो
निवास- ग्राम बदनूर तहसील व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0
14- ताराबाई पिता किशोर साहू निवासी ग्राम हतलेवा तह0/
जिला छिंदवाड़ा
15- दयाराम परसराम पिता दालाजी पवार दोनो निवासी ग्राम बदनूर,
जिला छिंदवाड़ा
16- देवकी बाई पति राजाराम साहू निवासी ग्राम हतलेवा तह0/
जिला- छिंदवाड़ा
17- नारायण पिता मदरू नाई निवासी ग्राम बदनूर तहसील व
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0
18- बतसिया बाई पति धनाराम पवार निवासी - ग्राम गुबरेल तहसील व
जिला - छिंदवाड़ा म0प्र0
19- मयाराम, शिवराम पिता दलाजी पवार, दोनो निवासी ग्राम बदनुर तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
20- विजय कुमार पिता गनपत साहू निवासी ग्राम हतलेवा तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
21- संकुनतलाबाई पति काशोबा पवार निवासी ग्राम बदनुर तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
22- संपत पिता मंदरू नाई निवासी ग्राम बदनुर तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
23- श्यामवती पति नारायण साहू निवासी ग्राम - मुबरले तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
24- राजाराम पिता दलाजी, यादोराव पिता जयराम, दोनो निवासी बदनूर तह0/
जिला छिंदवाड़ा
25- ज्ञानेश पिता गनपत साहू निवासी ग्राम हतलेवा तह0/जिला छिंदवाड़ा
26- गंजानंद पिता नत्थू पवार
27- तुलसीराम पिता उदेलचंद साहू
28- डुल्लोबाई पति पन्नालाल, मधु बिहारी, होरीलाल पिता पन्नालाल, मही,
गणेशी चन्द्रा इन्द्रा हिरिया पुत्री पन्नालाल निवासी गुबरेल तहसील मोहखेड़ा।
29- भैयालाल पिता उदेलचंद साहू, कमांक 26 से 29 सभी निवासी गुबरेल
तहसील व जिला छिंदवाड़ा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक पुनरावलोकन / छिन्दवाड़ा / भू.रा. / 2018 / 5898

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/12/18	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1740–एक / 2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–8–2018 पर से म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।	
	2 / पुनरावलोकन आवेदन के समर्थन में आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व मण्डल व्दारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4 (3) के क्रम में निगरानी आदेश दिनांक 6–8–2018 से निरस्त की है जबकि अनावेदक क्रमांक 21 एंव 22 की मृत्यु के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 10 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक व्दारा न्यायालय में सूचना दी गई थी किन्तु अनावेदक क्रमांक 21 एंव 22 के वारिसानों की जानकारी न देने के कारण वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया जा सका एंव अनावेदक के अभिभाषक उक्त संबंध में यदि जानकारी दे देते तब वह वारिसानों को पक्षकार के रूप में समाहित कर देते। यह सहबन भूल है जिसके कारण पक्षकारों को न्याय से बंचित करना उचित नहीं है। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की मांग रखी।	
	3 / आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते अनावेदक क्रमांक 21, 22 के वारिसानों को रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किया , जबकि सजग रहकर तद्नुसार कार्यवाही करने का दायित्व उन्हीं का था। पुनरावलोकन आवेदन में वह अन्य कोई ठोस आधार	

प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधार बताये गये हैं –

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक यह समाधान नहीं करा सके कि राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 6–8–18 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल हुई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश दिनांक 6–8–18 पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधान–कारक न होने से राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 6–8–18 यथावत रखते हुये पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है।

सदस्य